



भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS

PAN No. AAATB0431G

भोपाल शाखा कार्यालय : 'मानकालय', ई-5, अरेरा कालोनी,
विट्टन मार्केट, भोपाल-462016 (म.प्र.)
BHOPAL BRANCH OFFICE: 'Manakalaya', E-5, Arera Colony,
Bittan Market, Bhopal-462016 (M.P.)

Soft copy download of India Standards now available
from BIS sales portal [http:// www. standardsbis.in](http://www.standardsbis.in)

BIS offers complete training solution for Standards
and Management Systems. For details see
<http:// www. bis.org.in> or e-mail at nits@bis.org.in

दूरभाष / Tel.: 2423449, 2423452, 2423454, 2420493, 2442550
तार : मानकसंस्था / Gram : Manaksanstha
ई-मेल / E-mail : bplbo@bis.org.in
फैक्स / Fax : (0755) 2423451, वेबसाइट / Website : www.bis.org.in

सन्दर्भ: बीपीएल/ईएनएफ/सर्च एण्ड सीजर

27 अप्रैल 2017

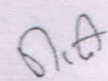
:: प्रेस विज्ञप्ति ::

आईएसआई मार्क का दुरुपयोग कर पेकेज्ड ट्रिंकिंग वाटर बनाने वाली कम्पनी पर
भारतीय मानक ब्यूरो, भोपाल द्वारा छापामार कार्रवाई

श्रीमति प्रीति भटनागर, वैज्ञानिक ई एवं प्रमुख, भारतीय मानक ब्यूरो, भोपाल शाखा कार्यालय के निर्देशानुसार ब्यूरो के अधिकारियों ने दिनांक 27 अप्रैल 2017 को मेसर्स दर्श इन्टरप्राइजेस इन्दौर, मध्यप्रदेश पर सर्च एण्ड सीजर कार्यवाही करते हुए नकली आईएसआई मार्क लगे पानी के पाउच एवं एक लीटर बोतल भारी मात्रा में जप्त किये गये। प्रकरण में अब दोषियों के विरुद्ध आगे की वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 के तहत आईएसआई मार्क का दुरुपयोग करना दण्डनीय अपराध है एवं धारा 33 के तहत रुपये 50000/- तक का जुर्माना अथवा एक वर्ष तक का कारावास अथवा दोनो दण्ड का प्रावधान है।

उपभोक्ताओं से अपील है कि वे अपनी आवश्यकता की वस्तुएं क्रय करते समय उत्पाद पर सही आईएसआई मार्क का अवलोकन करें एवं क्रय संबंधी बिल अवश्य प्राप्त करें। यदि उन्हें आईएसआई मार्क वस्तु की गुणता में किसी भी प्रकार का संदेह हो तो वे इसकी शिकायत भारतीय मानक ब्यूरो की किसी भी कार्यालय में अथवा ब्यूरो की वेबसाइट www.bis.org.in पर कर सकते हैं।


प्रीति भटनागर
वैज्ञानिक ई एवं प्रमुख